

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, सैक्टर-6, नौएडा

जिला-गौतमबुद्धनगर-201301

पत्रांक: नौएडा/भूलेख/2022/1929

दिनांक: 29-3-22

श्री चरनसिंह भाटी (एडवोकेट),
चैम्बर नं0-487, गली नं0-10,
जिला न्यायालय, सूरजपुर,
जिला-गौतमबुद्धनगर।

22956
1-4-22

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत आर.टी.आई. आवेदन संख्या-28772 द्वारा मांगी गयी सूचना का प्रेषण।

कृपया अपने प्रार्थना-पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आपके द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में सूचना का विवरण निम्नवत् है:-

क्रम संख्या	प्रश्न	उत्तर
(i)	यह कि क्या गाँव लखनावली, पर0-दादरी, तह0-सदर, जिला-गौ0बु0नगर की कृषि भूमि खाता-343, खेत/गाटा सं0-22, क्षेत्रफल 02-17-0 पुख्ता बीघा यानि 8621 वर्ग गज (7208 वर्ग मी0) के 1/10 भाग जिसका मालिक लेखराज पुत्र लीला, निवासी लखनावली है का अधिग्रहण ग्रेटर नौएडा द्वारा किया गया है।	आर0टी0आई0 के बिन्दु संख्या-(i) लगायत बिन्दु संख्या-(v) के माध्यम से चाही गयी सूचना/जानकारी ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित है।
(ii)	यह कि खाता सं0-343 खेत/गाटा सं0-22 स्थित गाँव लखनावली क्षेत्र 02-17-0 पुख्ता बीघा में से 1/10 भाग, जिसका मालिक लेखराज पुत्र लीला है की बावत 6% आवासीय भूखण्ड आवंटित किया गया है?	
(iii)	यह कि लेखराज पुत्र लीला निवासी को अपनी उपरोक्त भूमि की बावत कितने मी0 का आवासीय भूखण्ड आवंटन हुआ है और कौन से सैक्टर में प्लॉट स्थित है। उसका प्लॉट सं0 व आवंटन न0 क्या है।	
(v)	क्या लेखराज पुत्र लीला, नि0 लखनावली को उक्त भूमि की बावत आवंटित प्लॉट की सजिस्ट्री लीज हो चुकी है की कापी दिलाई जावे।	

कृपया तदनुसार सूचित होना चाहें।

लेखपाल
नौएडा

डिप्टी कलेक्टर (भूलेख)
नौएडा

प्रतिलिपि:-

- जन सूचना अधिकारी, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर को इस अशय से प्रेषित कि आवेदक को सीधे सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- प्रभारी जन सूचना अधिकारी, सैक्टर-6, नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डिप्टी कलेक्टर (भूलेख)
नौएडा

लेखपाल
नौएडा

110 land
4/4/22